न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध (अपील) वाद संख्या– 03/2015–16

–:आदेश:–

14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
3/8/18	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अपीलार्थी हरि सिंह, पिता ईश्वर दयाल सिंह, सा0 तेतुलिया, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विविध वाद सं0 09/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।	

विवादित भूमि				
मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
तेतुलिया	38	59, हाल खाता नं0 378	450/926	0.96ए0

अपीलार्थी अपने अपील आवेदन में उल्लेख किये है कि अंचल अधिकारी, चास के द्वारा विविध वाद सं0 9/2014–15 में पारित आदेश नियमानुकुल नहीं है तथा उक्त आवेदन रद्द करने योग्य है। इनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि मौजा तेतुलिया, खाता सं0 59, हाल खाता नं0 378, प्लॉट सं0 450/926 सर्वे खतियान में अपीलार्थी के पिता ईश्वर दयाल सिंह के नाम से दर्ज था। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार को तथा वर्तमान में बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार को राजस्व का भुगतान करते आ रहे है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का दखल–कब्जा है। जिसका उल्लेंख सहायक आरक्षी निरीक्षक, सेक्टर 12 थाना द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में किया गया है। विपक्षी का दस्तावेज जाली है तथा अनुसूची में वर्णित भूमि वन सीमा क्षेत्र से बाहर पड़ता है। जिसका जमाबंदी सं0 14 में अपीलार्थी के पिता के नाम से चलने की बात कही गयी है। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कागजातों पर दृष्टिपात न कर अवैधानिक आदेश पारित किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत केवाला सं0 7000 दिनांक 05.10.2012 जाली है। पुरूलिया रजिस्ट्री ऑफिस में दलील सं0 191 एस0सी0 वर्ष 1933 उपलब्ध नहीं होने का उल्लेंख किया। अन्त में अंचल अधिकारी, चास के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष दिनांक 17.05.2016 से लगातार अनुपस्थित है। इस न्यायालय द्वारा द्वितीय पक्ष को दिनांक 23.05.2017 एवं दिनांक 08.06.2017 से अंतिम सूचना निर्गत किया गया। सूचना प्राप्त करने के बावजूद भी द्वितीय पक्ष लगातार इस वाद में अनुपस्थित रहे। जिससे स्पष्ट होता है कि इस वाद में द्वितीय पक्ष को कोई अभिरूची नहीं है।

अंचल अधिकारी, चास द्वारा विविध वाद सं0 9/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 से प्रतिवेदित किया गया है कि केवाला सं0 7000 दिनांक 05.10.2012 द्वारा मौजा तेतुलिया, खाता नं0 59, प्लॉट नं0 450, रकवा 1.02ए0 भूमि द्वितीय पक्ष को खरीदगी से प्राप्त है। जिसका जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0 1584 में दर्ज है। उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को

की
ख्या
रीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष :-

1. इजहार हुसैन 2. अख्तर हुसैन, पिता शेख बड़ा बाबू से खरीदगी प्राप्त है एवं द्वितीय पक्ष की कायम जमाबंदी सं0 1584 को पुराना रैयत समीर महतो जमाबंदी सं0 70 से कायम किया गया है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0 1(VII)/2016–17 से मौजा तेतुलिया, थाना नं0 38, खाता नं0 59, प्लॉट नं0 426, 450, रकवा 103.00ए0 का पंजी II में चल रहे जमाबंदी सं0 70 एवं उससे संबंधित भूमि का उत्तराधिकारी नामांतरण का जमाबंदी सं0 1665 से घटायी गई जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा दिनांक 16.07.2016 से किया गया है। इसकी सम्पुष्टि सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 6387/रा0 दिनांक 15.12.2016 से किया गया है, जिसकी प्रति न्यायालय को प्राप्त है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रथम पक्ष के अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, चास के द्वारा विविध वाद सं0 09/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।

23/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।

13/07/20

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 13:48:39 +05:30
Location: 192.168.1.42